

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

(प्रधान कार्यालय, एन-3, अवंति विहार, रायपुर)

कमॉक/छगवेका/प्र.सं./2015

4713

रायपुर, दिनोंक-

13-04-15

प्रति,

शाखा प्रबंधक (समस्त)


छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

छत्तीसगढ़

विषय:-स्कंध भण्डारण एवं समय से मासिक प्रतिवेदन का पालन।

विभिन्न संस्थाओं, यथा नागरिक आपूर्ति निगम आदि के द्वारा खाद्यान्नों का भण्डारण राज्य भण्डारण गृह निगम के गोदामों में कराया जाता है। भण्डारण के पूर्व सामग्री में मात्रा (वजन के सत्यापन) का भी प्रावधान है। मेरे समक्ष कतिपय पुराने प्रकरण संज्ञान में लाये गये हैं जिसमें गोदाम में रखवायी गयी मात्रा और बाद में प्रदान की गयी मात्रा के वजन में अंतर है तथा कमी के कारण कतिपय सेवानिवृत्त कर्मचारियों का देय स्वत्व लंबित है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि भण्डारण के लिए रखे जाने वाले खाद्यान्न का वजन समग्र रूप से तथा बोरों में निर्धारित मात्रा में हो। धर्मकांटे से लॉट का वजन होने के पश्चात भी संबंधित लॉट के 10 प्रतिशत बोरों का हाथकांटे से टेस्ट वेमेंट अनिवार्य रूप से कराया जावे जिससे बाद में किसी भी किस्म की असुविधा न हो। साथ ही स्कंध के जमा एवं भुगतान के समय वजन के संबंध में मुख्यालय से पूर्व में जारी निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।


(ब्रजेश चंद्र मिश्र)
प्रबंध संचालक

कमॉक/छगवेका/प्र.सं./2015


4713

रायपुर, दिनोंक-

13-04-15

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
- 02 संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
- 03 संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
- 04 महाप्रबंधक, (पी0डी0एस0), छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लायज कार्पो0 लि0, हितवाद प्रेस परिसर, अवंति विहार, रायपुर
- 05 प्रबंधक (वाणिज्य/तकनीकी), छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय -रायपुर


प्रबंध संचालक